राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(A)(25)आरबी/2024/1072 दिनांकः27 फरवरी, 2025

परिपत्र

समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं की डिग्रीयां पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय के समय–समय पर आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह के अवसर पर उपाधियां (Degree) प्रदान किए जाने की परम्परा रही है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त शीघ्र उपाधि (Degree) उपलब्ध नहीं हो रही है।

उक्त संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में समस्त डिग्री उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि (Degree) प्रदान करने के साथ ही यदि विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह समय पर आयोजित नहीं होने की स्थिति हो तो छात्र–छात्राओं को प्रतिक्षा कराये बिना आवश्यकता होने पर तत्काल उपाधि (Degree) उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(डॉ. पृथ्वी)
सचिव
राज्यपाल राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(A)(25)आरबी/2024/1073 दिनांकः27 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि कुलपतिगण एवं कुलसचिवगण समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही एवं आदेश की पालना किये जाने हेतु प्रेषित है।

सचिव
राज्यपाल राजस्थान